



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

१९ श्रावण १९४४ (श०)

(सं० पटना ६००) पटना, बुधवार, १० अगस्त २०२२

सामान्य प्रशासन विभाग

आदेश

८ अगस्त २०२२

सं० ३/एम०-५४/२०१५सा०प्र०-१३८०४—राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सेवानिवृत्त एवं भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार पर लिए जाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प ज्ञापांक-१०००० दिनांक-१०.०७.२०१५ निर्गत है। उक्त संकल्प के साथ संलग्न अनुसूची में सम्मिलित पदों पर ही, संकल्प के प्रावधानों के तहत सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा के आधार पर नियोजन किया जा सकता है।

२. संकल्प की कंडिका-३(१) के प्रावधान के तहत विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावों के आलोक में सम्यक विचारोपरांत निम्नांकित पदों को उपर्युक्त संकल्प ज्ञापांक-१०००० दिनांक-१०.०७.१५ की अनुसूची में इस शर्त के साथ सम्मिलित किया जाता है कि इन पदों पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा नियोजन मात्र एक वर्ष के लिए ही किया जायेगा—

क्र०सं०	विभाग का नाम	विभागीय संकल्प संख्या-१०००० दिनांक-१०.०७.१५ अनुसूची में सम्मिलित किये जाने वाले पद।
१.	गृह विभाग (आरक्षी शाखा)	बिहार पुलिस रेडियो संगठन के— (i) फिटर
२.	आपदा प्रबंधन विभाग	नागरिक सुरक्षा निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों के— (i) निम्नवर्गीय लिपिक।
३.	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग	(i) आशुटंकक।
४.	सहकारिता विभाग	(i) अनुमंडल अंकेक्षण पदाधिकारी; (ii) वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी।

3. उपरोक्त पद पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के संविदा नियोजन हेतु संकल्प ज्ञापांक— 10000 दिनांक— 10.07.2015 में निहित शर्त एवं प्रक्रिया लागू रहेंगी एवं इस पद पर सेवा लेने के संबंध में प्रशासी विभाग द्वारा ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

आदेश से,
गुफरान अहमद,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 600-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>